

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (युप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/13

जयपुर, दिनांक :

- आदेश :-

T- JU 2010

श्री विशाल माथुर, कनिष्ठ लिपिक, पर्यटन विभाग, जयपुर को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता संख्या 02/09 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2046 के आधार पर उनके निवास हेतु इस विभाग के आदेश संख्या प. 18(1)साप्र/2/10, दिनांक 11.2.2010 के द्वारा आवंटित आवास संख्या जीए/5/टी-1/144, विद्याधर नगर, जयपुर के स्थान पर उनकी मांग पर राजकीय आवास संख्या जीए/5/टी-1/35, विद्याधर नगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किया जाता है।

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. ख्यय तथा पत्ती/बच्चों के नाम से पदरथापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/करने की रिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की अन्तराल तक आगे आवंटन तक के लिए पान्न नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भूता यदि उस धैत्र में अनुज्ञाय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भूता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को विजवाने का श्रम करावे।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता को

यह घोषणा करनी होगी:-

1. आवंटन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदरथापित रहे हैं।
2. आवंटन प्रक्रूत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई ख्यय/प्रति/पंति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कर नहीं किया है।
9. उपरान्त के अधिकारी ख्यय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की ओङ्कार से

(राजीव जैन)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ संघ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला कलकटर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल, योजना मंवन, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साइट पर अपडट करने का श्रम कराव।
6. अधिशासी अभियन्ता, साठगिठविठ/जन स्वाठ अभिठ विठ/जयपुर विठविठनिगम लिठ विचाधर नगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वौकी, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
8. सम्बन्धित कर्मचारी को प्रेषित कर लेखें है कि आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त करने का श्रम करें।
9. निजी सहायक, आंतरिक मुख्य सचिव, साप्रवि।
10. रक्षित पत्रावली।

२५/८  
(राजकुमार शर्मा)  
जनुमार्गाधिकारी